	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	
	प्रशिक्षण अनुभाग	आई.एस / आई.एस ओ खण्ड संख्या.7.1
संदर्भः क्यु.एम.एसः ई.ए.सी. क्यु.पी-07-1 पृष्ठ संख्या 1 का 2	विषय : 2010 के दिनांक 21.04.2010 की एम एस नोटिस सं04 की वापसी तथा "तटसमीपीय समुद्रयात्रा (एनसीवी) पर ड्रेजर जलयान, टग, अपतटीय सहयोगी जलयान इत्यादि के जनसंयोजन हेतु कार्मिकों के लिए समुद्रि-पूर्व प्रशिक्षण" की समाप्ति -	फाइल संख्या 3 -टीआर /(10)/2008 प्रशिक्षण अनुभाग
नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	**2014 की एम एस नोटिस सं0 1**	**दिनांक 22 जनवरी,2014**

2010 के दिनांक 21.04.2010 के एम. एस. नोटिस सं0 04 के अनुसार, "तटसमीपीय समुद्रयात्रा (एनसीवी) पर ड्रेजर जलयान, टग, अपतटीय सहयोगी जलयान इत्यादि के जनसंयोग हेतु कार्मिकों के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण – (डेक तथा इंजिन)" नामक दो समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रमों की शुरूआत की गयी थी।

2. इन पाठ्यक्रमों की आवश्यकता की समीक्षा महानिदेशालय द्वारा ड्रेजरों, टगों, ओ एस वी आदि पर उपलब्ध सीमित रोज़गार अवसरों की तुलना में प्रशिक्षित कर्मियों के लिए इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गई थी। यह निश्चित किया गया है कि ड्रेजर जलयान पर जनसंयोजन के लिए अलग से एक समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण की फिलहाल आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकांश ड्रेजर अंतर्देशीय जलयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं तथा केवल ड्रेजरों की सीमित संख्या ही एम एस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कि गई हैं जो कि पहले से ही प्रशिक्षित एवं उपलब्ध रेटिंगों तथा कैडिटों के बड़े पूल द्वारा जनसंयोजित की गई है। इसके अतिरिक्त, 2012 के दिनांक 19.04.2012 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 02 के अनुसार ड्रेजरों पर कार्य करने के लिए एक अभिज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरूआत की गई थी, जो कि, जी पी रेटिंगों, डेक कैडिटों तथा सक्षमता प्रमाणपत्र धारकों को ड्रेजरों पर कार्य करने के पूर्व इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने का अधिकार देता है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 2010 के दिनांक 21.04.2010 के एम.एस.नोटिस सं.04 एतद्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है तथा "तटसमीपीय समुद्रयात्रा (एनसीवी) पर ड्रेजर जलयान, टग, अपतटीय सहयोगी जलयान इत्यादि के जनसंयोजन हेतु कार्मिकों के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण – (डेक तथा इंजिन)" नामक दो समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम समाप्त किया जाता है।

4. इन पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को आगामी बैच से इस पाठ्यक्रम के आयोजन तथा प्रवेश को जारी न रखने की सलाह दी जाती है तथा इस पाठ्यक्रम को निलंबित और वापस लिया हुआ माना जाएगा।

5. यह यथा संशोधित मर्चेण्ट शिपिंग समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी मानक नियम, 1998, के अध्याय 9 के नियम 47 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के नौवहन महानिदेशक तथा पदेन अपर सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता हैं।

(आश मोहम्मद)

सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

प्रतिः

1) सभी मान्यता प्राप्त समुद्री प्रशिक्षण संस्थां 2) मुख्य कार्यालय समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कोची
3) इन्सा/ फोस्मा/ मासा/ सीसीएसए/ एमयूआई 4) शिपिंग मास्टर, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई 5) इन्डोस कक्ष नवभवन मुंबई
6) मुख्य सर्वेक्षक, "भारत सरकार" 7) नॉटिकल सलाहकार, "भारत सरकार 8) क्रू अनुभाग 9) कम्प्यूटर कक्ष
10) गार्ड फाइल 11) नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव